बैंकिंग परिदृश्य: वर्तमान स्थिति और भावी दिशा*

शक्तिकांत दास

मुझे प्रसन्नता है कि 2017-19 के बैच के लिए प्रबंधन (बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं)में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के पंद्रहवें वार्षिक दीक्षांत समारोह में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं डॉ. के.एल. ढींगरा, निदेशक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट (एनआईबीएम) और फैकल्टी के सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और मुझे युवाओं के मन से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। यह वास्तव में छात्रों के लिए गर्व का क्षण है क्योंकि यह वर्षों के समर्पण, दृढ़ता और कड़ी मेहनत के फल प्राप्त करने का दिन है। छात्रों को, मैं अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि वे अपने जीवन में एक नए चरण की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यह अवसरों और चुनौतियों से भरा जीवन होगा और आशा है कि आप ईमानदारी और नैतिकता का मार्ग अपनाएंगे क्योंकि आप आगे बढ़ने के लिए कठिन निर्णय लेने में सक्षम होंगे। राष्ट्र के पिता के रूप में, महात्मा गांधी ने कहा था, 'हमेशा सही रास्ता चुनें और सच बोलें'। आपका आत्म-विश्वास और दृढ़ संकल्प आपको आगे बढ़ने की ताकत प्रदान करेगा। मैं यहां मौजूद माता-पिता और अभिभावकों को भी बधाई देता हूं।

अब मैं उस विषय पर आता हूं जिस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ । मैं बैंकिंग क्षेत्र की वर्तमान स्थिति के साथ-साथ भावी दिशा के कुछ मुद्दों पर प्रकाश डालूंगा।

बैंकिंग क्षेत्र

पिछले कुछ वर्ष भारतीय बैंकों के लिए चुनौती पूर्ण साबित हुए हैं, क्योंकि उन्हें बिगड़ती हुई आस्ति गुणवत्ता का सामना करना पड़ा जिससे उच्चतर प्रावधानीकरण आवश्यकताओं, गिरती हुई लाभप्रदता और कमजोर पूंजी की स्थिति सामने आई। हालाँकि, बैंकिंग प्रणाली परिवर्तन के दौर में है और हाल के नीतिगत उपायों से इन कमजोरियों को कम करने और अपने वित्तीय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिली है। बैंकिंग प्रणाली की आघातसहनीयता बढ़ाने के उद्देश्य से विनियामकीय और पर्यवेक्षी ढांचे को मजबूती प्रदान करने हेतु कई उपाय किए गए और वे अभी भी जारी हैं।

बैंकिंग विनियमन

मार्च 2019 तक की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) 14.2 प्रतिशत पर था जो कि 9.0 प्रतिशत की विनियामकीय आवश्यकता से कहीं अधिक है। हालांकि, अगर हम पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) को ध्यान में रखते हैं, तो कुछ बैंकों, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों(पीएसबी) का यह स्तर अपेक्षित 10.875 प्रतिशत से कम रहा है। कुल मिलाकर, पीएसबी में पूंजी डालने के सरकारी प्रयासों से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफी मदद मिली है।

हमने प्रति चक्रीय पूंजी बफर (काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर) (सीसीसीबी), लीवरेज अनुपात, चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) और निवल स्थिर वित्तीयन अनुपात (नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो) (एनएसएफआर)[1]को भी लागू किया है। संकेन्द्रित जोखिमों के बेहतर प्रबंधन और अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप भारतीय बैंकों को संचालित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने बड़े एक्सपोज़रों पर दिशा-निर्देश प्रस्तावित किए थे, जो 1 अप्रैल, 2019 से लागू हुए। बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस)द्वारा दिसंबर 2017 में प्रकाशित सुधार नवीनतम स्वरूप के हैं और इनके क्रियान्वयन की समय-सीमा 2022 तक विस्तारित है। ऐसी आशा है कि रिज़र्व बैंक परामर्श के लिए 2020 तक मसौदा दिशानिर्देशों को तैयार कर लेगा।

गैर-निष्पादित आस्तियां

भारतीय बैंकों, विशेषकर पीएसबी, की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट को, वर्ष 2006-2011की अप्रत्याशित क्रेडिट वृद्धि (बूम) के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है, जब बैंक ऋणों में औसतन 20 प्रतिशत की दर से अधिक की वृद्धि हुई। आस्ति गुणवत्ता

* 8 जून 2019 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, पुणे के प्रबंधन स्नातकोत्तर डिप्लोमा के 15वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया भाषण।

[1] 1 अप्रैल 2020 से लागू

में गिरावट के लिए योगदान देने वाले अन्य कारकों में प्रतिकूल मैक्रो-वित्तीय माहौल रहा इसमें क्रेडिट मूल्यांकन और स्वीकृति के बाद निगरानी मानकों का ढीला-ढाला रवैया; परियोजना में होने वाले विलंब और लागत की अधिकता होना एवं मई 2016 तक एक मजबूत दिवाला व्यवस्था की अनुपस्थिति शामिल थे। रिजर्व बैंक ने 2014 में बड़े क्रेडिट (सीआरआईएलसी) की सूचना से संबंधित सूचना का एक केंद्रीय भंडार स्थापित किया और इसके बाद 2015 में एक आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) की गई। इन उपायों के परिणामस्वरूप गैर-निष्पादित आस्तियों की पहचान करने में सुधार हुआ, जिससे मार्च 2015 के अंत में सकल एनपीए अनुपात जो 4.3 प्रतिशत था इसमें तीव्र वृद्धि हुई और यह मार्च 2016 के अंत में 7.5 प्रतिशत हो गया। मार्च 2018 में यह 11.5 प्रतिशत के उच्चतम शिखर पर पहुंच गया। हाल के पर्यवेक्षी आंकड़े बताते हैं कि रिज़र्व बैंक द्वारा अपने विनियामकीय और पर्यवेक्षी ढांचे को मजबूत करने और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता(आईबीसी) के माध्यम से स्थापित की गई समाधान प्रक्रिया के विभिन्न प्रयास सफल रहे हैं। यह 2018-19 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की आस्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार के रूप में परिलक्षित होता है क्योंकि मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार, सकल एनपीए अनुपात कम होकर 9.3 प्रतिशत हो गया है।

वहीं मार्च 2019 के अंत में एससीबी के प्रावधान कवरेज अनुपात (PCR) में सुधार हुआ और यह 60.9 प्रतिशत रहा जबकि मार्च 2018 के अंत में यह 48.3 प्रतिशत था और मार्च 2015 के अंत में यह 44.0 प्रतिशत के स्तर पर था। बैंकों की पूँजी की स्थिति के कमजोर रहने और उनकी जोखिम लेने से बचने की प्रवृत्ति के कारण हाल के वर्षों में क्रेडिट वृद्धि मंद बनर रही। तथापि, बैंकों के स्वास्थ्य में सुधार के संकेत मिलने के साथ ही क्रेडिट में वृद्धि हो रही है।

दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान

अब यह अच्छी तरह से जान लिया गया है कि दबावग्रस्त कंपनियों का समय पर समाधान और परिसमापन के लिए एक कुशल दिवालियापन व्यवस्था मौजूद होनी आवश्यक है। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) ने वित्तीय परिदृश्य को काफी बदल दिया है क्योंकि यह एक समयबद्ध बाजार व्यवस्था वाला दिवाला समाधान प्रदान करता है ताकि अधिकतम मूल्य प्राप्त किया जा सके। नयी व्यवस्था एक आमूल-चूल परिवर्तन है जिसमें लेनदार पहले की प्रणाली के विपरीत संपत्ति का नियंत्रण ले लेता है जबकि पिछली व्यवस्था में देनदार अपने समाधान या परिसमापन होने तक संपत्ति पर काबिज बना रहता था, इससे देश की क्रेडिट संस्कृति में सुधार होता है।

दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए दिनांक 12 फरवरी 2018 के रिज़र्व बैंक के परिपत्र को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नकार दिए जाने के आदेश के मद्देनज़र हमने कल (7 जून 2019) नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। नए दिशानिर्देश समाधान या दिवाला कार्यवाही प्रारंभ करने में देरी करने के लिए अतिरिक्त प्रावधान के रूप में इसे कठोरतापूर्वक हतोत्साहित करता है। नया ढांचा अंतर-लेनदार करार को अनिवार्य बनाता है और बहुमत के फैसले को लागू करने की व्यवस्था करता है। आगे भी, जहाँ भी आवश्यक हो, रिज़र्व बैंक विशिष्ट चूक के लिए उधारकर्ताओं के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने के लिए बैंकों को दिशा-निर्देश जारी करेगा, ताकि प्रभावी समाधान प्राप्त करने की गति में कोई परिवर्तन न आए। यह उम्मीद की जाती है कि दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए संशोधित विवेकपूर्ण ढांचा, सरकार और रिजर्व बैंक के प्रयासों से क्रेडिट संस्कृति में अब तक आए सुधार को बनाए रखेगा और यह, भारत में मजबूत और समुत्थानशील वित्तीय प्रणाली को बढ़ावा देने में एक लंबी भूमिका का निर्वाह करेगा।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)

अब मैं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की ओर रुख करता हूं। ये भारतीय वित्तीय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं इन्होंने बैंकों को प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ उनके पूरक के रूप में उपस्थित होने की व्यवस्था प्रदान की है। वे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में विविध प्रकार के ग्राहकों की अनेक वित्तीय जरूरतों को पूरा करती हैं। एससीबी के संयुक्त तुलन-पत्र के लगभग 16 प्रतिशत के आकार वाला यह क्षेत्र हाल के वर्षों में तेज गति से बढ़ रहा है। मार्च 2019 के अंत तक, एनबीएफसी क्षेत्र का कुल सीआरएआर 19.3 प्रतिशत था जबकि सकल एनपीए अनुपात 6.6 प्रतिशत था। एनबीएफसी की ऋण वृद्धि जो पहले 20 प्रतिशत से अधिक थी वह 2018-19 की तीसरी तिमाही में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एक एनबीएफसी द्वारा ऋण में चूक करने के बाद धीमी पड़ गई। हालांकि, क्योंकि वित्तपोषण के प्रमुख स्रोतों में बहाली होने से वित्त वर्ष 2018-19 की अंतिम तिमाही में बाजार का भरोसा कुछ हद तक फिर कायम हुआ।

2018 के मध्य में एक बड़ी एनबीएफसी द्वारा दिए गए ऋण में हुई चूक ने इस क्षेत्र विशेष पर और विशेष रूप से आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) ढांचे पर विनियामकीय सतर्कता को मजबूत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। रिजर्व बैंक ने हाल ही में एनबीएफसी के लिए एक मजबूत चलनिधि ढांचे के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने अपनी ऋण बहियों का प्रतिभूतिकरण करने के लिए एनबीएफसी मानदंडों में ढील दी है। इसके अलावा, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि ग्रहण न करने वाली एनबीएफसी और आवास वित्त कंपनियों द्वारा जारी किए जाने वाले बांडों के प्रति बैंकों को आंशिक ऋण वृद्धि (पीसीई) प्रदान करने की अनुमति दी गई है।

बैंकों और गैर-बैंकों के बीच विनियामकीय अंतर को समाप्त करने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक एससीबी के साथ एनबीएफसी के लिए विनियामकीय और पर्यवेक्षी ढांचे को समान स्तर पर ला रहा है। एनबीएफसी की ऑफ-साइट निगरानी को मजबूत करने के लिए एक व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) ढांचा तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा, परिचालन अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए एनबीएफसी की कई श्रेणियों को कम करके उनकी श्रेणियों को युक्तिसंगत बनाया जा रहा है।

रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी पर निगरानी बढ़ाने के लिए भी उपाय किए हैं। ये प्रयास मुख्य रूप से चार पर्यवेक्षी स्तंभों को सुधारने पर केंद्रित हैं - ऑन-साइट जांच करना, ऑफ-साइट निगरानी, बाजार आसूचना और सांविधिक लेखा परीक्षकों की वार्षिक रिपोर्ट। सांविधिक लेखा परीक्षकों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों और एनबीएफसी में बड़ा जोखिम रखने वाले बैंकों सहित सभी हितधारकों के साथ आवधिक सहभागिता हेतु एक संस्थागत व्यवस्था के रूप में पर्यवेक्षण का पाँचवां स्तंभ बनाया गया है।

भावी दिशा

मैंने पहले ही बैंकों और गैर-बैंकों के विनियमन और पर्यवेक्षण के क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है। भावी दिशा के रूप में, मैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालना चाहूंगा, जिनका आगामी महीनों में हल निकालने की जरूरत है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण है बैंकों और गैर-बैंकों के अभिशासन में सुधार। इनमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) पीएसबी बोर्डों के कार्यकलापों में सुधार लाने और कॉरपोरेट अभिशासन को बढ़ावा देने के लिए, नियुक्ति की प्रक्रिया को अधिक युक्तिसंगत बनाना, उत्तराधिकार योजना और मुआवजे के माध्यम से उनकी गुणवत्ता और स्थिरता को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। इन पहलुओं का मूल्यांकन बैंक बोर्डों द्वारा किया जा सकता है और बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा इसकी समीक्षा की जा सकती है। हमें विशेषज्ञता के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्र निदेशकों का एक पूल बनाने की भी आवश्यकता है।

(ii) सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के बैंकों के एमडी/सीईओ के कार्यनिष्पादन की निगरानी निदेशक मंडल द्वारा अथवा एक उप-समिति के माध्यम से या किसी बाह्य सहकर्मी समूह समीक्षा के माध्यम से की जानी चाहिए।

(iii) बैंकों को अपने वित्तीय और परिचालन मापदंडों में सुधार के लिए एक प्रभावी कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली भी बनानी चाहिए। सरकार, बैंक बोर्ड ब्यूरो और रिजर्व बैंक,सरकारी बैंकों के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन हेतु एक उद्देश्यपरक रूपरेखा विकसित करने में लगे हुए हैं। इससे पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता पर ध्यान देते हुए पीएसबी में कॉरपोरेट अभिशासन के संदर्भों को फिर से परिभाषित किया जा सकेगा।

(iv) निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) में अभिशासन के मुद्दे से संबंधित चिंताएं पूरी तरह से अलग प्रकार की हैं। यहां मुद्दे मुख्य रूप से उनके प्रबंधन का इंसेंटिव ढांचा, लेखापरीक्षा की गुणवत्ता और उसका अनुपालन तथा लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन समितियों के कुशल कामकाज से संबंधित हैं। रिज़र्व बैंक ने निजी क्षेत्र के बैंकों में मुआवजे के लिए प्रस्तावित दिशा-निर्देशों पर एक चर्चा-पत्र जारी किया है, जिसमें न्यूनतम परिवर्तनीय वेतन घटक और अन्य व्यवस्थाओं के बीच अंतर करना शामिल

है। रिज़र्व बैंक, निजी क्षेत्र के बैंकों को अपने कार्य-क्षेत्रों में फलने-फूलने देने के लिए सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाता रहेगा।

दूसरा, बैंकों में मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रणाली बनाने के लिए, मुख्य जोखिम अधिकारियों (सीआरओ) को एक प्रभावी भूमिका निभानी होगी और बोर्ड के प्रबंध निदेशक (एमडी), मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) और जोखिम प्रबंधन समिति को सीधे जवाबदेह होना चाहिए।

तीसरा, जोखिम प्रबंधन के साथ-साथ, बैंकों में अनुपालन कार्यप्रणाली उनके कॉरपोरेट अभिशासन संरचना के प्रमुख तत्वों में से एक है। इन्हें काफी मजबूत और पर्याप्त रूप से स्वतंत्र बनाना होगा। अनुपालन कार्यप्रणाली प्रभावी होने के लिए, संगठन के भीतर एक स्वस्थ अनुपालन संस्कृति होनी चाहिए। बैंकों को अपने स्वयं के आंतरिक दिशानिर्देशों, बोर्ड के निर्देशों और उनकी समितियों और लेखापरीक्षा आकलन के अलावा सभी संवैधानिक और विनियामकीय निदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उनकी अनुपालन कार्यप्रणाली की व्यापक रूप से समीक्षा करनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि निदेशक मंडल हमेशा किसी भी अनुपालन विफलताओं के प्रति संवेदनशील रहे। एक समूह-व्यापी अनुपालन कार्यक्रम, प्रबंधन और बोर्डों को संगठन में कानूनी और प्रतिष्ठा जोखिमों को समझने में मदद करेगा, विशेष रूप से कुछ क्षेत्रों में उनका संकेन्द्रण हो जाने की स्थिति में।

चौथा, यह देखा गया है कि अधिकांश बैंक धोखाधड़ी के पीछे प्रभावी नियंत्रण का अभाव होता है। आंतरिक नियंत्रण की एक प्रभावी प्रणाली का एक अनिवार्य घटक नियंत्रण तंत्र की मजबूती होना है। यह निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वे अपने कार्यों और संवादों के माध्यम से आंतरिक नियंत्रण के महत्व पर जोर दें। बैंकों को अपने कार्मिकों को नियमित रूप से पुन: शिक्षित और प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि वे अपने संबंधित कार्यक्षेत्रों में आंतरिक नियंत्रण के महत्व को पूरी तरह से समझ सकें। बैंकों के बोर्डों को विशेष रूप से बैंकों में प्रभावी नियंत्रण की संस्कृति बनाने और उसे बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए।

पांचवां, भले ही सरकार द्वारा पूंजी डालने से पीएसबी को अपने तुलन-पत्र को बेहतर बनाने में मदद मिली हो, लेकिन मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि पीएसबी को इस स्रोत पर बहुत अधिक निर्भर नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर पीएसबी को पूंजी जुटाने के लिए पूंजी बाजार का उपयोग करना चाहिए।

छठा, मैंने पहले ही आईबीसी और नई दिवाला व्यवस्था के महत्व का उल्लेख किया है। हालाँकि, मामलों के समाधान में विलंब हुआ है काफी संख्या में मामले 180 या 270 दिनों से अधिक खिंच गए हैं। सरकार पहले ही इंदौर और अमरावती में दो नए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) बेंचों को स्थापित करने की घोषणा कर चुकी है। इसके बावजूद, अधिक संख्या में बेंचों के साथ-साथ सदस्यों की भी आवश्यकता होती है। अपनी ओर से, हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (IICA), मानेसर, हरियाणा में एक नयी भारतीय रिज़र्व बैंक, प्रोफेसर चेयर खोल रहे हैं, जो प्रशिक्षित दिवाला पेशेवरों के पूल को बढ़ाने के लिए दो वर्षीय ग्रैजुएट इन्सॉल्वेंसी कार्यक्रम शुरू कर रहा है।

सातवें, वित्तीय क्षेत्र में हुए विविध विकासों के परिप्रेक्ष्य में जैसे कि जटिल वित्तीय उत्पादों और तीव्र प्रौद्योगिकीय नवोन्मेषों के प्रयोग ने अंतर-सह-संबद्धता और निकायों के भीतर एवं एक दूसरे बीच स्पिल-ओवर को बढ़ावा दिया है। इसके कारण विश्व भर में बैंक पर्यवेक्षणों के लिए विशेष कुशलता प्राप्त टीमों का निर्माण करने की बयार बह रही है। भारतीय संदर्भ में भी, वित्तीय क्षेत्र में घटित कुछ घटनाओं ने पर्यवेक्षण और विनियमन में विशेषज्ञता की आवश्यकता को रेखांकित किया है। जोखिम संकेन्द्रण, अपारदर्शी बाजार प्रथाओं और बैंकिंग क्षेत्र में उससे जुड़ी संक्रामक प्रभावों के कारण विनियमित संस्थाओं में जोखिमों का निर्माण हो जाना वित्तीय स्थिरता पर उल्लेखनीय प्रभाव डालने वाला हो सकता है। इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने अब बैंकों, गैर-बैंकों और सहकारी समितियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए एक विशेष नियामकीय और पर्यवेक्षी संवर्ग बनाने का निर्णय लिया है। रिज़र्व बैंक में यह विशेष संवर्ग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ताकि मजबूत बैंकिंग और गैर-बैंकिंग क्षेत्र पूरी अर्थव्यवस्था की वित्तपोषण माध्यस्थता संबंधी आवश्यकताओं को कुशलतापूर्वक पूरा कर सकें।

आठवें, रिज़र्व बैंक नए वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के विकास के लिए सक्षम वातावरण

बनाने में अग्रणी रहा है। हम निगरानी ढांचे को मजबूत कर रहे हैं और विनियामकीय सैंडबॉक्स के ढांचे पर दिशानिर्देश का मसौदा जारी किया गया है। श्री नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में डिजिटल भुगतान को अधिक कुशल बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसने हाल में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सुरक्षित, महफूज, सुलभ और सस्ती भुगतान प्रणालियों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक भुगतान प्रणाली विज़न 2021 निकाला है। रिज़र्व बैंक, नीलेकणी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों की जांच करेगा और कार्रवाई बिंदुओं की तफ़सील करेगा और आवश्यकतानुसार विज़न 2021 के साथ उन्हें क्रियान्वित करेगा।

नौवें, हमें ग्राहक सेवा में मौजूदा ख़ामियों को दूर करने और इसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मानकीकृत (बेंचमार्क) करने की भी जरूरत है। ग्राहकों के विश्वास और भुगतान प्रणालियों में विश्वास बढ़ाने के लिए एक सुदृढ़ ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली विकसित करने के प्रयासों को जारी रखा जाएगा। डिजिटल भुगतान की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए, डेटा सुरक्षा और सायबर सुरक्षा मानदंडों को लगातार मजबूत करने की आवश्यकता है। उभरते खतरों, जिसमें संगठित सायबर अपराध और सायबर युद्ध प्रमुख हैं, के परिप्रेक्ष्य में सायबर सुरक्षा के बदलते खतरों के खिलाफ निरंतर सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना अनिवार्य हो गया है। जैसा कि बैंक तेजी से प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं, नियामक के लिए यह चुनौती होगी कि वह विवेकपूर्ण उपायों के साथ कुशलतापूर्वक संतुलन साध सके ताकि जोखिम को कम रखते हुए फिनटेक द्वारा पेश अवसरों का लाभ उठाया जा सके।

अब मैं एनबीएफसी की ओर रुख करता हूं। उनके विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण हल्का रहा है, ताकि वे विशेष (नीश) क्षेत्रों के लिए अपने विविध वित्तीय उत्पादों के साथ बैंकों के पूरक बन सकें और अपनी नवोन्मेषी सेवा सुपुर्दगी व्यवस्था के माध्यम से आबादी के एक विभिन्न वर्गों तक पहुंच सकें। तथापि, क्षेत्र को मजबूत करने, स्थिरता बनाए रखने और विनियामकीय अंतर से बचने के लिए रिज़र्व बैंक, सामयिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, आवश्यक विनियामकीय और पर्यवेक्षी उपाय सक्रिय रूप से कर रहा है। हाल के घटनाक्रमों के आलोक में, उनके विनियमन और पर्यवेक्षण पर नए सिरे से विचार करने की स्थिति उत्पन्न हुई है। हमारा प्रयास है कि विनियमन और पर्यवेक्षण का एक इष्टतम स्तर हो ताकि एनबीएफसी क्षेत्र आर्थिक रूप से आघातसह और मजबूत हो। इसी के साथ, एनबीएफसी को आबादी के व्यापक वर्गों तक पहुंचने के लिए आवश्यक क्षमता के साथ ही संस्थाओं को अच्छी तरह से संचालित करने में भी सक्षम होना चाहिए। रिज़र्व बैंक इस क्षेत्र की गतिविधि और निष्पादन की निगरानी करता रहेगा जिसमें मुख्य ध्यान प्रमुख संस्थाओं और अन्य क्षेत्रों के साथ उनके अंतर-संबंधों पर रहेगा। हम लघु, मध्यम और दीर्घकाल में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए अपेक्षित कोई भी कदम उठाने से नहीं हिचकेंगे।

जैसा कि आप जानते हैं, पर्यवेक्षण और विनियमन में सुधार करना और उसे युक्तिसंगत बनाना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस दिशा में, हमने एनबीएफसी पर्यवेक्षण की आवधिकता को 18 महीने पहले से घटाकर 12 महीने कर दिया है। हम अपेक्षा करते हैं कि कंपनियों के निदेशक मंडल स्वयं ध्यानपूर्वक कार्य करें और रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षण रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करें।

इसके अलावा, हमारा उद्देश्य एनबीएफसी बनाम बैंकों के अलग प्रकार के व्यवसाय मॉडल को ध्यान में रखते हुए बैंकों और एनबीएफसी के बीच चलनिधि मानदंडों में सामंजस्य बनाना है। इस संदर्भ में हमारे द्वारा हाल में प्रस्तावित चलनिधि जोखिम प्रबंधन ढांचा से संबंधित अंतिम दिशानिर्देश जल्द ही जारी किया जाएगा।

मुझे शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) का भी उल्लेख करना चाहिए। हमारा अनुभव बताता है कि यूसीबी के निदेशक मंडल को पेशेवराना रवैये से बैंकिंग व्यवसाय का संचालन करने के लिए अधिक विशेषज्ञता और कौशल की आवश्यकता होती है। रिज़र्व बैंक इस मुद्दे पर दिशानिर्देश जारी करने की प्रक्रिया में है। यूसीबी के लिए एक छत्रक संगठन स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की जाती है जो ऋण और पुनर्वित्त सुविधाएं, आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और पूंजी और चलनिधि संबंधी सहायता प्रदान कर सके। रिज़र्व बैंक द्वारा इस संगठन की संरचना, कार्यों और विनियामकीय दिशानिर्देशों की जांच की

जा रही है। इस क्षेत्र में विलय और समेकन से परिचालन लागत को कम करने, जोखिम विविधीकरण को अधिक प्रोत्साहित करने और पूंजी को युक्तिसंगत बनाने में मदद मिलेगी। समुचित प्रोत्साहन के माध्यम से क्षेत्र में स्वैच्छिक विलय को प्रोत्साहित करने के लिए हम एक व्यवस्था शुरु करने का प्रस्ताव रखते हैं। यूसीबी के लिए एक केंद्रीकृत धोखाधड़ी रजिस्ट्री बनाने का भी हमारा प्रस्ताव है।

मैंने बैंकिंग और गैर-बैंकिंग क्षेत्रों से संबंधित कई मुद्दों पर प्रकाश डाला है। एक ठोस और समुत्थानशील वित्तीय प्रणाली, आधुनिक अर्थव्यवस्था की एक पूर्वापेक्षा है जिसमें आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लाभों को समाज के सभी वर्गों को समान रूप प्रदान करना शामिल है। जैसा कि आप जानते हैं, सुधार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। रिज़र्व बैंक अपने दृष्टिकोण में सक्रिय बने रहने का प्रयास करेगा। तेजी से बदलते वित्तीय परिदृश्य में, हम उभरती हुई चुनौतियों के प्रति सतर्क रहेंगे और उनके लिए उपयुक्त जवाबी कार्रवाई करेंगें ताकि एक समुत्थानशील एवं मजबूत वित्तीय प्रणाली सुनिश्चित हो सकें।